भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 298

उत्तर देने की तारीख 16 दिसंबर, 2024

सोमवार, 25 अग्रहायण 1946 (शक)

ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार

***298. श्री बिद्युत बरन महतो:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से लैस करने हेतु विशेषत: ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करने और उनकी पहुंच बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए गए कौशल वर्तमान उद्योग की आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के अनुरूप हों; और

(ग) अधिक संख्या में उद्योगों को प्रशिक्षुता कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है तथा दीर्घकालिक करियर अवसरों को बढ़ावा देने के लिए मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण को एकीकृत करने में सरकार किस प्रकार सहायता प्रदान कर रही है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार' के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *298 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संदर्भित विवरण

(क) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशल से युक्त करना है। कौशल विकास कार्यक्रमों की पहुंच का विस्तार करने के लिए विगत दस वर्षों के दौरान प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है

	वर्ष 2014 से पूर्व	**वर्ष 2024-25***
आईटीआई (सरकारी और निजी)	9,776	15,012
जेएसएस (एनजीओ)	234	289
क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी)	20	36
पीएमकेवीवाई केंद्र	--	14,271
एनएपीएस प्रतिष्ठान	6,755**	48,769

*आंकड़े 31.10.2024 तक के हैं; **आंकड़े वित्त-वर्ष 2018-19 के हैं

इसके अलावा, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने 48 आईटीआई की स्थापना का सहयोग करने के लिए 'वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास' योजना और 22 मौजूदा आईटीआई के उन्नयन के लिए 'पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास अवसंरचना को बढ़ाना' योजना लागू की। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, सरकार ने कौशल केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया है। कौशल महोत्सव और आउटरीच अभियान व्यापक जागरूकता और नामांकन सुनिश्चित करते हैं।

कौशल विकास के लिए सरकार की स्कीमों हेतु सामान्य लागत मानदंडों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों आदि जैसे विशेष क्षेत्रों में उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं।

कौशल भारत डिजिटल हब (एसआईडीएच) के माध्यम से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के युवाओं सहित युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच को काफी सुगम बनाया गया है। यह एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है जो कौशल संवर्धन हेतु एक व्यापक और सुलभ

मंच प्रदान करती है, उद्योग-प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रम, रोजगार के अवसर और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करती है।

(ख) एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल को वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के साथ संरेखित करना सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित विशेष कदम उठाए गए हैं:

(i) 2020 से, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार 4387 नई अर्हताओं को मंजूरी दी है और 4419 अर्हताओं को समाप्त किया है जो प्रासंगिक नहीं हैं।

(ii) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) स्थापित किए गए हैं, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने का अधिकार है। एनएसडीसी, बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत, प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग-मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को सहयोग और संरेखित करते हैं।

(iii) डीजीटी फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(iv) भारत सरकार ने वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रयासों को संरेखित करने के लिए बारह देशों के साथ कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू)/सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(v) पीएमकेवीवाई के तहत, लगभग 200 नए युग/भविष्य के कौशल रोज़गार भूमिकाओं को आगामी बाजार-मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं के साथ विशेष रूप से संरेखित किया गया है।

(vi) एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने कृत्रिम मेधा, मेक्ट्रोनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीटीएस के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में 29 आधुनिक युग/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

(vii) डीजीटी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संबंध सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी

आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भागीदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और पेशेवर कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान की सुविधा प्रदान करती हैं।

(viii) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में अहमदाबाद और मुंबई में स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) का उद्देश्य उद्योग 4.0 के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल तैयार करना है, जो अत्याधुनिक तकनीक और व्यावहारिक प्रशिक्षण से युक्त हो।

(ix) एमएसडीई के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने डिजिटल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, रेडहैट, पियर्सन वीयूई, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी), सिस्को नेटवर्किंग अकादमी जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ भागीदारी की है।

(ग) एमएसडीई प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं को वृत्तिका के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन स्कीम (एनएपीएस) को कार्यान्वित कर रहा है। एनएपीएस के तहत, शिक्षुता कार्यक्रमों में अधिक उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला (पीएमएनएएम) एमएसडीई का एक मासिक कार्यक्रम है, जो प्रत्येक महीने दूसरे सोमवार को प्रत्येक राज्य के एक तिहाई जिलों में आयोजित किया जाता है। प्रशिक्षुता मेला प्रशिक्षुता अवसर के संबंध में उम्मीदवारों और प्रतिष्ठानों के बीच एक मंच के रूप में कार्य करता है।

(ii) उम्मीदवारों, प्रतिष्ठानों, उद्योग संघों/वाणिज्य मंडलों, उद्योग समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए हितधारकों के साथ कार्यशालाएं, सेमिनार, वेबिनार आदि, एमएसएमई मंत्रालय, शैक्षणिक संस्थानों, कौशल भारत प्रशिक्षण भागीदारों, प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके), आईटीआई, जेएसएस आदि की भागीदारी पर विशेष ध्यान केंद्रित करना।

(iii) एमएसडीई ने अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्वायत्त संस्थानों/प्रतिष्ठानों को शिक्षुओं की भर्ती शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करें।

(iv) एमएसडीई ने शिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उद्योग संघों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (सीपीएसयू) के साथ भागीदारी शुरू की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में सभी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने की सिफारिश की गई है। व्यावसायिक शिक्षा को

मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहल की गई हैं:

(i) समग्र शिक्षा योजना के व्यावसायिक शिक्षा घटक के तहत, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ़) के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम पात्र स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को प्रदान किए जाते हैं। माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 और 10) पर, छात्रों को अतिरिक्त विषय के रूप में व्यावसायिक मॉड्यूल प्रदान किए जाते हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 और 12) पर, व्यावसायिक पाठ्यक्रम अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

(ii) संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल से युक्त रोजगार कौशल को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है।

(iii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में विकसित स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ने व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण के उद्देश्यों को निर्धारित किया है। इसका एक उद्देश्य यह है कि सभी छात्रों के लिए व्यावसायिक क्षमता, ज्ञान और प्रासंगिक मूल्य विकसित किए जाएँगे, और इससे स्कूल के बाद अगर वे चाहें तो कार्यबल में शामिल होने की संभावना पैदा होगी।

(iv) पीएमकेवीवाई 4.0 को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सहयोग से कौशल हब पहल के तहत स्कूलों के माध्यम से भी कार्यान्वित किया जा रहा है। कौशल हब पहल मिश्रित शिक्षण अवसर प्रदान करती है, जिससे दीर्घावधि कैरियर विकास के लिए मार्ग बनते हैं।

(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ़) के अनुसार कौशल-आधारित कार्यक्रम प्रदान करने की सुविधा प्रदान की है।

*****